न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), प्रयागराज।
<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–773/2026</u>
UPAD010021802026

1. विजयराज पुत्र स्व. गिरधारी लाल
2. लाल बहादुर पुत्र बसंत लाल
3. राधेश्याम पुत्र स्व. रामसेवक
4. अवनीश पुत्र लाल बहादुर

निवासीगण ग्राम खुटरिया, थाना घूरपुर, जिला प्रयागराज।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उ0प्र0 राज्य

..... अभियोगी

मु0अ0सं0–481/2017
अन्तर्गत धारा–325, 323, 504 भा.दं.सं. एवं
धारा–3(1)(द)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट
(सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–85/2018)
<u>थाना–घूरपुर, जनपद प्रयागराज।</u>

<u>दिनांक–12.03.2026</u>

यह **नियमित जमानत** प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण विजयराज, लाल बहादुर, राधेश्याम एवं अवनीश की ओर से मु0अ0सं0–481/2017, अन्तर्गत धारा–325, 323, 504 भा.दं.सं. एवं धारा–3(1)(द)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना–घूरपुर जनपद–प्रयागराज में प्रस्तुत किया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त के भाई/पैरोकार बबलू द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा धर्मराज द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–15.09.2017 को थाना घूरपुर में पंजीकृत करायी गयी है कि प्रार्थीगण धर्मराज व विमलेश, भाईलाल सुबह समय 06.00 बजे विमलेश खेत में पहले से माइनर का पानी लगा रखा था, जो कि गांव के ही दबंग व्यक्ति विजयराज, लाल बहादुर, बसंतलाल, राधेश्याम, अवनीश मौके पर आये और विमलेश को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किये, विमलेश ने कहा कि हमारा लगा पानी आज तक जाने दो, इतने में दबंग व्यक्तियों ने धारदार हथियार से मारना शुरू कर दिये, जब हम लोग सुना कि मार हो रही है, मौके पर पहुंचे तो पूंछा कि क्यों उसके भाई को मार रहे हो तो हम लोगों को जाति सूचक शब्द करते हुए मारने लगे।

वादी मुकदमा धर्मराज आदि की उक्त तहरीर के आधार पर थाना घूरपुर प्रयागराज पर अभियुक्तगण विजयराज एवं अन्य के विरूद्ध मुकदमा अपराध

संख्या–481/2017, धारा–324, 323, 504 भा.दं.सं. धारा–3(1)(द) 3(1)(ध)एस.सी./एस. टी. एक्ट, में मुकदमा पंजीकृत हुआ, दौरान विवेचना धारा–324 को धारा–325 में तरमीम करते हुए विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण विजय राज एवं अन्य के विरूद्व धारा–325 323, 504, भा.दं.सं. एवं धारा–3(1)(द) 3(1)(ध)एस.सी./एस.टी. एक्ट, में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से संक्षेप में यह तर्क दिया गया कि वादी मुकदमा ने धारदार हथियार से भी अभियुक्तों द्वारा मारने की बात कही गयी है, परन्तु चोटों के बारे में कुछ नहीं लिखा है कि कहा–कहां चोटें आयी है। प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की मारपीट नहीं की गयी थी और न ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था। प्रार्थीगण पर लगाया गया आरोप 7 वर्ष से अधिक का नहीं है। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाय।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का एवं अजमानतीय है। उनका जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। वादी को जरिये दूरभास सूचना दी गयी, उसके उपरांत भी वादी जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी सहित अन्य समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अवलोकन से विदित है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा धर्मराज एवं विमलेश तथा भाईलाल को मार–पीट कर गम्भीर उपहति कारित किये जाने गंदी गंदी जाति सूचक गालियां दिये जाने का आक्षेप लगाया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण विजयराज एवं अन्य के विरूद्व बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा दिनांक–19.02.2026 को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा अंतरिम जमानत का दुरूप्रयोग नहीं किया गया है। सम्बन्धित थाने की आख्यानुसार अभियुक्तगण का उक्त मामले के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी.बी.आई.एवं अन्य,** 2022 SC Online 577 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा आरोपित अपराध हेतु अनुकल्पित दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना, अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का उचित आधार प्रतीत होता है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **विजयराज, लाल बहादुर, राधेश्याम एवं अवनीश** का जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक **अभियुक्त द्वारा मु0–30000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक–एक संतोषप्रद प्रतिभू** दाखिल करने पर, उन्हें जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा किया जाए।

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगे और न ही किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में विचारण में विलम्ब करेगे।
2. आवेदकगण/अभियुक्तगण बिना किसी स्थगन के विचारण में सहयोग करेगे।
3. आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी अवैधानिक क्रिया कलाप को कारित करने में सम्मिलित नहीं होगे।

इस आदेश में अधिरोपित किसी भी शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में अभियोजन, अभियुक्त को प्रदत्त जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही कर सकेगे।

दिनांक–12.03.2026

(परवेज अख्तर)
जे.ओ. कोड UP-6310
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)
प्रयागराज।